

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 7/2023

दिनांक : 21/1/2023

मुकेश कुमार पिता रघुश्याम जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखेह तहसील तालेडा जिला बुन्दी राज0।

.....प्राची

बनाम

1. शिवलाल पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुडा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. राजेश पिता रघुश्याम जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखेह तहसील तालेडा जिला बुन्दी राज0।
3. रमेश पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुडा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
4. धन्नालाल पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुडा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
5. नन्दलाल पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुडा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
6. रामचन्द्र पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुडा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....विपक्षीयगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 25/05/2023

प्रार्थना पत्र में बाबुलाल पिता प्यारचन्द जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0जरिये अभिभाषक श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि कि मौजा ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 176 पर अंकित आराजी नम्बर 1033/265 कुल किता 01 रकबा 0.7284 हैक्टयर भूमि स्थित है। विपक्षगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लड़ाई झगडा करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की तार्ईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भु अभिनिरक्षिक कौंसया को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम गुडा पटवार हल्का गुडा तहसील बिजौलिया की सरहद में स्थित खाता संख्या 176 पर अंकित आराजी नम्बर 1033/265 कुल किता 01 रकबा 0.7284 हैक्टयर भूमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 500/- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलिया को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 73/2023

दायर दिनांक :- 28/4/2023

प्रेषित :-

फैसल दिनांक: 25/05/2023

तहसीलदार बिजौलियां

विषय :- प्रकरण संख्या 73/2023 पत्थरगढी बाबत ।

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज.)।


मुकेश कुमार पिता राधेश्याम जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखेह तहसील तालेड़ा जिला बुन्दी राज०।प्रार्थी

बनाम

1. शिवलाल पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुढा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।
2. सजंय पिता रधेश्याम जाति बैरागी उम्र वयस्क निवासी लाम्बाखेह तहसील तालेड़ा जिला बुन्दी राज०।
3. रमेश पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुढा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।
4. धन्नलाल पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुढा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।
5. नन्दलाल पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुढा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।
6. रामचन्द पिता कजोड़ जाति भाट उम्र वयस्क निवासी राणजी का गुढा बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज०।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 176 पर अंकित आराजी नम्बर 1033/265 कुल किता 01 रकबा 0.7284 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाय़ा जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। भु-अभिनिरक्षिक कौंस्या को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस 100/रु की पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सूचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां, भीलवाड़ा